

अन्तिम दस मास से प्राप्त / प्राप्त होने वाली परिलब्धियां (----- को निरस्त कर दिया जाये)

13. पेंशन का आगणन
 14. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य)
 15. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन
 16. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)
 17. शुद्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि
 18. पारिवारिक पेंशन का आगणन
 - (क) सामान्य दर
 - (ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांकसे रू0..... प्रतिमाह तथा दिनांकसे रू0 प्रतिमाह (सामान्य दर)
 19. पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक
 20. पेंशन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है
 21. राशिकृत मूल्य का आगणन
 22. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि
 23. कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन / सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी/ राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे
 24. अन्तिम पेंशन / पारिवारिक पेंशन (यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
 25. अन्तिम सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
 26. पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक (यह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक
- (1) भवन निर्माण अग्रिम में से रू0..... की धनराशि देना शेष है / कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (2) मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रू0..... की धनराशि शेष है / कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रू0..... की धनराशि शेष है / कोई धनराशि शेष नहीं है।

(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक तक रू0..... की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है / कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक रू0 और देना शेष रह जायेगा।

(5) आडिट के परिणामस्वरूप रू0..... की धनराशि देय है / कोई धनराशि देय नहीं है।

(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रू0..... की धनराशि देय है / कोई धनराशि देय नहीं है।

(7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाये) रू0 की धनराशि देय है / कोई धनराशि देय नहीं है।

(8) श्री..... (सरकारी सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक / वैभागीक अथवा प्रशासनाधिकरण जांच लम्बित नहीं है/है।

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुंचायी गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचारण के दोषी हो तो उसका विवरण, दिया जायें।)

(विभागाध्यक्ष / कार्यालय के हस्ताक्षर तथा पदनाम)